Bill No. 14 of 2015

The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015

A

BILL

To further amend the Section 176 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement :- (i) This Act may be called Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Act, 2015

   (ii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

   (iii) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette so appoint.

2. Amendment of Section 176(1) – In the principal act, in section 176(1) Code of Criminal Procedure, 1973 after the words "(1) when the case is of the nature referred to in clause (i) or clause (ii) of sub section (3) of section 174" and before the words "the nearest Magistrate…" the following words "or any case referred by the Government of National Capital Territory of Delhi" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment in section 176(1) of Code of Criminal Procedure is aimed to make enabling provision in the Act to widen the scope of Magisterial Inquiry.

Under Chapter XII of Code of Criminal Procedure, 1973 various provisions regarding "Information to the Police and their power to investigate' are outlined. Under Section 174 of Cr.P.C in all cases of death by suicide, by homicide or killed by an animal or machinery or by accident or suicide by woman within 7 years of marriage or suspicion about death of a woman within 7 years of marriage or request of relative or deaths under suspicion that death has been caused due to an offence by someone. Police is to inform the nearest Executive Magistrate who is empowered to hold inquest (inquiring into unnatural deaths) and unless otherwise directed by any rule of a State Government /DM/ SDM. Thereafter, police is to investigate the unnatural death, submit their report to DM/SDM and send the body for post-mortem examination.

In cases of suicides/deaths of woman within 7 years of marriage and in any other case mentioned in 1 above, the concerned magistrate may, in addition to or in lieu of police investigation himself/ herself investigate the death.

In addition to police investigation as mentioned above, in cases of suspicious deaths, disappearances, alleged rapes in police custody, magisterial and authorized court custody, such case cases will also be inquired by Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrates having jurisdiction in the area/Matter.

This Government does not want to limit the scope of the Magisterial Inquiry only to custodial death, homicide, suicide of a woman or death of a woman, but to any other act which the State Government thinks fit for a Magisterial Inquiry. This Government wants to widen its scope to cover any other cases of suspicious disappearance, rapes in police custody, suspicious death etc.

(SATYENDAR JAIN)
MINISTER OF HOME

FINANCIAL MEMORANDUM

The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015 does not have any financial implication.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015 does not make any provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

'क' परिशिष्ट

2015 का विधेयक सं014

दण्ड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 176 का पुनः संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

यह भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–**
   (1) इस अधिनियम को दण्ड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 कहा जा सकेगा।
   (2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
   (3) यह सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **धारा 176(1) का संशोधन–** मूल अधिनियम में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 176(1) में आए "जब प्रकरण धारा,174 की उपधारा (3) के खण्ड (i)(ii) में संदर्भित स्वरूप का हो" शब्दों के बाद तथा "निकटतम मजिस्ट्रेट" शब्दों के पहले "अथवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार द्वारा भेजा गया कोई प्रकरण" सन्निविष्ट किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1) के संशोधन का उद्देश्य मजिस्ट्रेट जांच का दायरा बढ़ाने के लिये अधिनियम में उपबन्ध को सशक्त बनाना है।

दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 के अध्याय XII के अन्तर्गत ''पुलिस का सूचना तथा जांच करने के लिये उसकी शक्तियों'' संबंधी विभिन्न उपबंधों का उल्लेख है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत आत्म हत्या द्वारा मृत्यु, नर हत्या द्वारा, किसी पशु या मशीन द्वारा माराजाना या दुर्घटना द्वारा या विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला द्वारा आत्म हत्या या विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु संबंधी संदेह या परिजन के अनुरोध या संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु होना, कि मृत्यु किसी द्वारा किए गए अपराध के कारण हुई है। पुलिस को उस निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है, जो जांच पड़ताल करने के लिये सशक्त है (अप्राकृतिक मृत्यु संबंधी जांच के बारे में) और राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट/सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट के किसी नियम द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो और शव को शव परीक्षा के लिये भेजे।

विवाह के 7 वर्ष के भीतर तथा उक्त 1 में उल्लिखित किसी अन्य मामले में आत्म हत्या/मृत्यु होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट, इसके अतिरिक्त या पुलिस जांच के स्थान पर मृत्यु की स्वयं जांच कर सकता/सकती है।

उक्त उल्लिखित पुलिस जांच के अतिरिक्त पुलिस अभिरक्षा, मजिस्ट्रेट तथा प्राधिकृत न्यायालय अभिरक्षा में संदेहास्पद मृत्यु/लापता होने, पुसिल अभिरक्षा में तथाकथित बलात्कारों के मामलों में क्षेत्र/मामलों का अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों द्वारा भी जांच की जाएगी।

यह सरकार केवल अभिरक्षा में मृत्यु नर हत्या, किसी महिला की आत्महत्या या किसी महिला की मृत्यु तक ही मजिस्ट्रेट जांच का दायरा सीमित नहीं करना चाहती, अपितु, किसी अन्य कृत्य तक भी, जिसे राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट जांच के लिये उपयुक्त समझती है। ये सरकार संदेहास्पद लापता होने, पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार, संदेहास्पद मृत्यु आदि के किसी अन्य मामलों को कवर करने के लिये इसका दायरा बढ़ाना चाहती है।

(सत्येन्द्र जैन)
गृह मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 से किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ता ळें

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 किसी पदाधिकारी के पक्ष में शक्तियों को प्रत्यायोजन करने के लिए गौण विधान करने के लिए किसी भी उपबन्ध की व्यवस्था नहीं करता है।